राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत

क्रमांक/कोरोना/सामान्य/2020/1812 दिनांक : 28.08.2020

आदेश

अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

सिरोही जिले के तहसील आबूरोड के पुलिस थाना आबूरोड शहर , आबूरोड सदर आबूरोड रिको क्षेत्र में नोवल कोराना वायरस (कोविड–19) से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार होने से बढ़ रही हैं। दिनांक 27/8/2020 को 23 एवं दिनांक 28/08/2020 को 48 संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हुऐ हैं एवं एक संक्रमित व्यक्ति कि मृत्यु हो जाने से संज्ञान लिया जाना आवश्यक हो गया हैं, कि संक्रमित व्यक्तियों का सर्म्पक असंक्रमित व्यक्तियों से सिमित किया जा सके। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी आबूरोड़ द्वारा भी उनके प्रत्र कमाक/सामान्य/कोरोना/2020/3702 दिनांक 28/08/2020 के द्वारा भी लगातार पोजेटीव केस बढने से सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्ण रूप कर्फय लगाया जाने हेतू निवेदन किया गया हैं। अतः इससे उत्पन्न महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा संक्रमण की वर्तमान स्थिति को मध्यनजर रखते हुये अविलम्ब आबूरोड तहसील के सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र तलहटी क्षेत्र व सातपूर क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव/नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की रक्षा/सुरक्षा के मध्यनजर रखते हुये मुझे यह समाधान हो गया है एंव मै संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में जिला सिरोही के तहसील आबूरोड सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र तलहटी क्षेत्र व सातपूर क्षेत्र में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लगाया जाना आवश्यक समझता हूँ। कि संक्रमित व्यक्तियों का सर्म्पक असंक्रमित व्यक्तियों से सिमित किया जा सके।

अतः मै डॉ. गौरव सैनी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट आबूपर्वत **RRT** से विचार विमर्श के बाद आबूरोड में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत तहसील आबूरोड के नगरपालिका क्षेत्र, तलहटी क्षेत्र, सातपूर क्षेत्र, तरतोली रेलेवे पुलीया तक आबूरोड के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ :–

सिरोही जिले के तहसील आबूरोड के सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र, तलहटी क्षेत्र व सातपूर क्षेत्र व तरतोली रेलेवे पुलीया तक में निम्नानुसार लॉक डाउन दिनांक 30.08.2020 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 06.09.2020 को रात्री 12:00 बजे तक लगाया जाता है।

1. मेडिकल स्टोर खुले रहेगें, शेष समस्त दुकाने बंद रहेगी।
2. आवश्यक सेवाऐं हेतू सब्जी व दुध की दुकान प्रातः 6:00 से 10:00 बजे तक खुली रहेगी। किराणा कि दुकान दिनांक 02.09.2020 बुधवार को 8:00 से 2:00 बजे तक खुली रहेगी ।
3. उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
4. उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपभोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होगे। साथ नगर परिषद/पालिका की व्यस्थाओं से जुडे वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विघुत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एंव अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
5. यह प्रतिबंध अंतिम संस्कार/अंतिम विधियों से संबंधित, बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर एवं बैंक/वित्तीय सेवाएं/ पेट्रोल पम्प/ ओद्योगिक इकाईयाँ/ रिको फैक्टरीयां ईट–भट्टे की इकाई पर लागु नही होगा।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आबू पर्वत

6. उक्त क्षैत्र के समस्त चिकित्सालय, सरकारी कार्यालय एवं चिकित्सा सेवाओं से जुडे हुए व्यक्ति/संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।

7. मै उक्त क्षैत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लधंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की घारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। तहसीलदार आबूरोड एवम संमन्धित थानाधिकारी उक्त आदेश कि पालना करवायगे।

चूंकि समयाभाव के कारण यह संभव नही है कि उक्त आदेश प्रत्येक व्यक्ति को अलग– अलग सूचित किया जावे एवं प्रत्येक को अलग अलग नोटिस जारी कर तामिल करवाया जावे। एवम कर्फ्यू जल्दी नही लगाया गया तो जन स्वास्थ्य कि अपूर्णीय क्षति हो सकती हैं। अतः यह आदेश एक तरफा प्रसारित किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 28.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया, जो दिनांकः–30.08.2020 को प्रातः 6:00 बजे से प्रभावी होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आबूपर्वत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आबू पर्वत

कमांक/कोरोना/सामान्य/2020/1812

दिनांक : 28.08.2020

प्रतिलिपिः–

1 श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर/श्रीमान महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर।
2 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सिरोही।
3 श्रीमान् पुलिस अधिक्षक महोदय सिरोही।
4 पुलिस उपाधीक्षक आबूपर्वत को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्तानुसार आदेश की पालना हेतु समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित करावे।
5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोही/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही।
6 उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही/शिवंगज/रेवदर/पिण्डवाडा।
7 तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही/शिवंगत/रेवदर/पिण्डवाडा।
8 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
9 समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण..।
10 विकास अधिकारी, पंचायत समिति आबूरोड।
11 आयुक्त नगर परिषद सिरोही/आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत।
12 अधिशाषी अधिकारी आबूरोड/पिण्डवाडा/शिवंगज।
13 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
14 प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष/आपदा प्रबंधन/विकास शाखा।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत (जिला–सिरोही)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आबूपर्वत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आबू पर्वत